

न्यायालय: स्वयंन्यायालय नैमिली, शमीपुर।

S.No. 39/22.

सरकार द्वारा मुन्ना बैठा को

11.4.23

सभी (4) अग्रिम 1. मुन्ना बैठा, 2. सुरेश बैठा,
3. मनोज बैठा एवं 4. विमोद बैठा की ओर से
कोई पैरवी का प्रमाण नहीं मिली।

अभिलेख का अवलोकन किया।
अभिलेख के अवलोकन से यह विदित

है।

अध्यक्ष, विद्यापीठ, जे. ए. ए. कॉलेज, इ. ए. ए.
डि. ए. 39/22

सरकार द्वारा मुनां बंधा को

क्याः
11.4.23

होता है कि प्रत्येक की हीदादुर्दी
के पूर्व निम्न व्यवस्थापन द्वारा 207 के.
की प्रक्रिया का पालन पूरी किया गया है तथा
वाद का हीदा सुद्ध कर दिया गया है।
संलग्न उक्त परिसर में कार्यलय
द्वारा 207 के. की प्रक्रिया का विधिक
पालन करने हेतु अनिवार्य रूप से
सर्वोच्च निम्न व्यवस्थापन को वापस करे।
दि. 18.5.23 वात्त अनुपालन।